छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492 002

—:: आदेश ::—

रायपुर, दिनांक 6/08/2015

कमांक/11892/एफ–8/89/PMFBY/2016–17/14–2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा **"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना"** के दिशा–निर्देशिका में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार विभिन्न प्राकृतिक विपदाओं से होने वाले फसल क्षति के मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु गठित जिला स्तरीय संयुक्त समिति की सहयोगी के रुप में निम्नानुसार तहसील स्तरीय संयुक्त समिति का गठन करती है :—

1	तहसीलदार	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	सदस्य
3	चयनित बीमा कंपनी के तहसील स्तरीय अधिकारी	सदस्य
4	दो नामांकित कृषक प्रतिनिधि *	सदस्य

* कृषक प्रतिनिधियों के नामांकन हेतु आदेश राज्य शासन स्तर से पृथक से जारी किया जाएगा।

तहसील स्तरीय संयुक्त समिति का मुख्य कार्य एवं जवाबदेही निम्नानुसार होगी:—

1. यह समिति जिला स्तरीय संयुक्त समिति के सहयोगी समिति के रुप में कार्य करेगी।
2. योजना के मार्ग–दर्शिका में उल्लेखित फसल क्षति आंकलन की प्रकिया के अनुसार फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों में प्राकृतिक विपदा की परिस्थितियों में होने वाले नुकसान **जैसे mid season adversity, फसल कटाई पश्चात् होने वाली क्षति तथा स्थानीय आपदाओं से होने वाली** क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति निर्धारण करेगी।
3. क्षति के आंकलन हेतु प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त रुप से सर्वेक्षण/निरीक्षण करेगी।
4. योजना के प्रावधान अनुसार उपरोक्त परिस्थितियों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/दावा भुगतान नियत तिथि में करने हेतु जिला स्तरीय संयुक्त समिति को सहयोग करेगी।

यह समिति उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्ग–दर्शिका में उल्लेखित अन्य कार्य तथा शासन स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरुप कार्य करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सी.पैकरा) 6/8/16
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

By Email 6/8/16
10987 12/08/16

D:\Office File-2016\Bhoi Sir\Letter.doc

क्रमशः ...2...

पृ.क्र. /11893/एफ–8/89/PMFBY/2016–17/14–2 रायपुर दिनांक 6/08/2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, कृषि, पशुधन विकास, मत्स्यपालन, जल संसाधन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
3. संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ.ग. शासन।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
5. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
6. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/सहकारिता/कृषि विभाग, छ.ग. शासन।
7. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छ.ग. रायपुर।
8. आयुक्त, भू–अभिलेख, छ.ग. रायपुर।
9. संचालक संस्थागत वित्त/कृषि/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी/ आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, छ.ग. रायपुर।
10. कलेक्टर, जिला–...(समस्त), छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक, रायपुर।
12. महानिदेशक, छ.ग. राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, रायपुर।
13. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, बैरन बाजार, रायपुर।
14. महाप्रबंधक, छ.ग. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायपुर।
15. निदेशक, केन्द्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, लालपुर, रायपुर।
16. क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर।
17. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंडरी रायपुर।
18. व्यवसाय प्रमुख, ईफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी रायपुर, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
19. राज्य प्रबंधक, रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी रायपुर, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
20. संयुक्त संचालक कृषि, संभाग–रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा।
21. उप संचालक कृषि, जिला–...(सर्व) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

OK